रा मु उदयपुर

AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ________ मुकाम ________

रामजीलाल बनाम रामेश्वर

किस्म मुकदमा दीवानी नं. 162/5.3.18 सन् ________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
18/10/2021	वकील उभय पक्ष उप0/प्रार्थना पत्र नियम 10 151 CPC वाद अबेट किये जाने बाबत पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश प्रा0पत्र हेतु पत्रावली दिनांक 8-11-2021 को पेश हो।	
8/11/2021	आज PO साहब अंन्य काम मे/मीटिंग/ कैम्प में पधारे हैं। दौरे मे/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से ता.पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना मे दिनाक 15-12-2021 को पेश हों।	
15/12/21	वादी अधिवक्ता उपस्थित। बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। 16/8/2018 को प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा वादी अधिवक्ता को वादी के फौत होने की सूचना दी गई। प्राकृतिक रूप से यह सूचना स्वयं अधिवक्ता को पता होनी चाहिए थी 16/08/2018 से आज दिनांक 15/12/2021 तक वादी अधिवक्ता द्वारा वादी के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:11:29 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	इसके अतिरिक्त प्रार्थना पत्र 22 नियम 10 CPC व 151 CPC बाबत वाद अबेट किये जाने हेतु का साधारण रूप से व कोस्ट पर भी कई अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब पेश नहीं किया गया। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो। इतना लिखने पर कुछ समय पश्चात अधिवक्ता श्री उमेश कुमार गौड़ द्वारा बहुत बदतमीजी के साथ आक्रोशित होकर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र व वकालतनामा न्यायालय के समक्ष पेश किये गये। न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता से अपशब्द कहे गये कि "ये आदेश कैसे दे दिया, कुछ आता तो है नहीं, आ[illegible] है [illegible] पता नहीं कहां - कहां [illegible] भी बहुत ही अशोभनीय शब्द कहे हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता के ऊपर तिलमिलाते हुए आक्रोशित होकर जोर शोर से लगे। चिल्लाने लगे। रोकने की कोशिश पर भी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.31 12:01:29 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
इनके द्वारा अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया जाता रहा। अधिवक्ता श्री उमेश कुमार गौड़ द्वारा न्यायालय की गरिमा को क्षति पहुंचाई गई। अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु बार कांउसिल को पत्र लिखा जावे तथा इसके साथ ही High court में अवमानना का केस किया जावे। सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 12:11:29 IST
Reason: SelfAttested